भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

राज्यसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 887
06 02.2026.को उत्तर के लिए नियत

उन्नत रसायन विज्ञान सेल के लिए पीएलआई योजना

887 **श्री गोला बाबूराव:**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) वर्ष 2021 में शुरु होने के बाद उन्नत रसायन विज्ञान सेल के लिए पीएलआई योजना की सफलता कितनी है;
(ख) जनवरी 2026 तक ₹81,100 करोड़ में से कितनी राशि का उपयोग हुआ है;
(ग) क्या मंत्रालय योजना का विस्तार करने और स्थानीयकरण मानक को आसान बनाने का प्रस्ताव रखता है, जो इसके सफल कार्यान्वयन में बाधा बन रहे हैं;
(घ) क्या दिसंबर 2024 तक 50 गीगावाट प्रति घंटा उत्पादन क्षमता का लक्ष्य प्राप्त हुआ है;
(ङ) पीएलआई योजना के तहत स्वीकृत फर्मों का ब्यौरा क्या है और ऐसे प्रत्येक फर्म का प्रदर्शन क्या रहा है;
(च) क्या सरकार कंपनियों को तब तक सेलों को आयात करने की अनुमति देने पर विचार करेगी जब तक वह अपनी सेल विकसित नहीं कर लेते; और
(छ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं?

उत्तर
भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क), (ख), (घ) एवं (ङ): भारी उद्योग मंत्रालय "राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण कार्यक्रम" नामक उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इसे ₹18,100 करोड़ के कुल बजट के साथ मई 2021 में 50 जीडब्ल्यूएच की घरेलू उन्नत रसायन सेल विनिर्माण क्षमता स्थापित करने के लिए मंज़ूरी प्रदान की गई थी।

कुल लक्षित 50 जीडब्ल्यूएच क्षमता में से, 40 जीडब्ल्यूएच चार लाभार्थी फर्मों को दिया गया है। लाभार्थी फर्मों की रिपोर्ट के अनुसार, 31.12.2025 तक इस स्कीम के तहत कुल ₹3,237 करोड़ का संचयी निवेश हुआ है और 1,118 लोगों को रोज़गार मिला है।

भारत सरकार की इस पहल ने भारतीय सेल विनिर्माताओं के लिए सेल विनिर्माण इकाइयों को स्थापित करने में उत्प्रेरक का काम किया है। पीएलआई एसीसी स्कीम के आवेदकों के अलावा, कम से कम 10 विनिर्माताओं ने अगले पांच वर्षों में देश में लगभग 178 जीडब्ल्यूएच की कुल क्षमता की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त, पीएलआई एसीसी स्कीम ने कैथोड एक्टिव मटीरियल, एनोड एक्टिव मटीरियल, फॉयल इत्यादि जैसे घटकों की मांग बढ़ा दी है। भारतीय विनिर्माताओं ने घटक विनिर्माण और पुनर्चक्रण इकाइयों की घोषणा की है।

अब तक, किसी भी लाभार्थी फर्म ने पीएलआई एसीसी स्कीम के तहत किसी प्रकार के प्रोत्साहन का दावा नहीं किया है, और प्रदत्त क्षमता और वास्तविक रूप से स्थापित क्षमता का लाभार्थी-वार विवरण इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	**पीएलआई एसीसी स्कीम के तहत लाभार्थी फर्म**	**प्रदत्त क्षमता (जीडब्ल्यूएच में)**	**स्थापित क्षमता (जीडब्ल्यूएच में)**
1.	एसीसी एनर्जी स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड	5	0
2.	ओला सेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	20	1
3.	रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी स्टोरेज लिमिटेड	5	0
4.	रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी लिमिटेड	10	0
	कुल	**40**	**1**

(ग): जी नहीं ।

(च) एवं (छ): पीएलआई एसीसी स्कीम को उन्नत रयासन सेलों (एसीसी) के लिए निर्यात पर निर्भरता कम करने के लिए देश में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हालांकि, एसीसी के आयात पर कोई रोक नहीं है।.

******